



राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता प्रतापगढ़ (राज.)
Email :- pratapgarh.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 431

दिनांक - 15/7/2021

विज्ञप्ति संख्या 03 / 2021

महिला थाना प्रतापगढ़ में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 एवं शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.08.2019 के नियम - 6 के अनुसरण में नियम - 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर शासकीय संस्थाओं से एतद् प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.08.2021 सांयकाल 05:00 बजे तक, कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

आवेदन का प्रारूप, पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता प्रतापगढ़

प्रकाशन के लिये

क्रमांक:- म.अ./MSSK/2021-22/432-36

दिनांक - 15/7/2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान आयुक्त महोदया निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी महोदय जिला परिषद प्रतापगढ़।
4. प्रोग्रामर निदेशालय, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता प्रतापगढ़

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जिला प्रतापगढ़
आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)-2017 सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.08.2019
के नियम 6 एवं 7 के अंतर्गत)

सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
जिला प्रतापगढ़।

विषय :- महिला थाना प्रतापगढ़ पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था जिला - प्रतापगढ़ में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र प्रतापगढ़, को संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है -

(क) संस्था का परिचय

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
संस्था का पंजीकृत कार्यालय, पूर्ण पता	
संस्था का संविधान	प्रति संलग्न करें।
संस्था की कार्यकारिणी	प्रति संलग्न करें।
टेलीफोन व मोबाईल नम्बर	
फैक्स	
ई-मेल, यदि हो	
वेबसाईट, यदि हो	
संस्था का GST नम्बर	

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव :-

संस्था का कार्यक्षेत्र	
संस्था के मूल उद्देश्य	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें।
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, उसका पूर्ण विवरण	संक्षिप्त विवरण दें।
संस्था द्वारा महिलाओं के लिये विशेष रूप से चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें।
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं की सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्रों का अनुभव है। यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, का विस्तृत विवरण।	संक्षिप्त विवरण दें।
संस्था को महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया, तो उसका विवरण एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	

नोट :- विस्तृत सूचना के लिए बिन्दुवार अलग से शीट संलग्न की जा सकती है।

(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था :-

संस्था में कार्मिकों की कुल संख्या व विवरण प्रपत्र में प्रस्तुत करें।	क्र.सं.	नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
	1				
संस्था की गत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट (सीए द्वारा प्रमाणित)	(सीए द्वारा प्रमाणित) संलग्न करें।				
संस्था के आय के स्रोत एवं व्यय का विवरण	स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।				
संस्था की गत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट	स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।				
संस्था को ब्लेकलिस्टेड नहीं किया जाने का प्रमाण पत्र (विगत तीन वर्षों में)	राशि रू0 50 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।				
अन्य विवरण जो देना चाहे					



राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता प्रतापगढ़ (राज.)
Email :- pratapgarh.we@rajasthan.gov.in

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि(संस्था का नाम) के सम्बन्ध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएँ जहाँ तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन) 2017 में दी गई शर्तों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी (सचिव/अध्यक्ष)

नाम

पता/टेलीफोन नं.